न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 25/2026

GCMS No. : 2026/59

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		आनन्द पुत्र हरीनारायण अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी आदर्श नगर मकान नम्बर 42, पाली मैसर्स मानसरोवर एण्टरप्राईजेज नियर जय अम्बे मार्केट बांगड चिकित्सालय के सामने पाली।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांकः 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 22.05.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मान सरोवर एण्टरप्राईजेज सुरजपोल रोड बांगड अस्पताल के सामने पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम आनन्द पुत्र हरीनारायण अग्रवाल बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में रखे फ्रिज में 02–03 किलोग्राम Strawbery crush रखा हुआ था। जिसका उपयोग अप्रार्थी आमजन को बेचने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग किया जाता है। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने Strawbery crush का नमुना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Strawbery crush वास्ते जांच हेतु 02 किलोग्राम क्रय कर उसकी कीमत 370/—रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा Strawbery crush को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2556 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया Strawbery crush का नमुना संख्या आर–2556 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/904/एक्ट/2025/904 दिनांक 03.06.2025 के अनुसार Sub-Standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। अप्रार्थी द्वारा कोइ जवाब पेश नही करने पर प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) Strawbery crush का उपयोग आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने के लिए उपयोग लेने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है एवं जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कि फर्म से लिया गया Strawbery crush का उत्पादन अप्रार्थी कि फर्म में नहीं किया जाता है। अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का विक्रय करते है। अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म में गुणवत्तापूर्ण पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उसके सम्बन्ध में पूर्ण सावधानी बरती जाती हे। अतः श्रीमान निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा मैसर्स मानसरोवर एण्टरप्राईजेज नियर जय अम्बे मार्केट बांगड चिकित्सालय के सामने पाली से लिया गया Strawbery crush का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2556 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Strawbery crush का नमुना कोड संख्या आर–2556 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया Strawbery crush का नमुना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से Strawbery crush का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर का Strawbery crush का उपयोग कर आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) Strawbery crush का उपयोग आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली